राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj1@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/Rising Rajasthan/ 2024-25/ 432 दिनांक : Oct. 2024

समस्त प्राचार्य,

राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।

विषयः राजस्थान प्रदेश के त्वरित विकास हेतु राजस्थान सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत उच्चशिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु भागीदारी निर्वहन करने बाबत।

लेख है कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान प्रदेश के त्वरित विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों की श्रृंखला में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम से पहले शिक्षा विभाग द्वारा एक ''प्री सम्मिट'' का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के साथ सरकारी, अर्द्ध–सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ राजकीय महाविद्यालयी संस्थाओं के विकास, अध्ययनरत विद्यार्थियों के हित, एवं शिक्षा में गुणवत्ता केन्द्रित सहयोग एवं सेवा के लिये समझौता पत्र (MoU's) हस्ताक्षरित किये जाने हैं।

इस संबंध में सभी राजकीय महाविद्यालयों से अपेक्षा है कि वे अपने स्तर पर संस्था विकास, विद्यार्थी हित एवं शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन केन्द्रित उद्देश्यों के लिये सरकारी, अर्द्ध–सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क कर उनके साथ समझौता पत्र (MoU's) हस्ताक्षर करने हेतु अग्रसर हों। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस ''प्री सम्मिट'' के समय हस्ताक्षरित किये जाने वाले MoU's महाविद्यालयों की विशेष उपलब्धि होंगे। महाविद्यालय स्तर पर हस्ताक्षरित किये जाने वाले MoU's के लिये कुछ संभावित क्षेत्र निम्न प्रकार हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त महाविद्यालय की आवश्यकतानुरुप अन्य मांगपरक क्षेत्रों में भी (MoU's) हस्ताक्षरित किये जा सकेगे।

1. CSR के अन्तर्गत महाविद्यालय में IT labs, Smart classrooms, installation of Solar Panels, भवन निमार्ण एंव खेल मैदान/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने संबंधी विकास कार्य।
2. शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में क्षमता विकास संबंधी कार्यक्रम/सहयोग।
3. विद्यार्थियों में रोजगारोन्मुख दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण एवं नियोक्ता के रुप में सहयोग।
4. शिक्षा में गुणवत्ता हेतु संस्था में नवाचारों की सामुहिक योजना निर्माण एवं क्रियान्विति।
5. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्था के साथ मिलकर सहयोग।

महाविद्यालय संस्थाओं के साथ किए जाने वाले MoU's के प्रारूप नवाचार प्रकोष्ठ की ई–मेल innovation.cceraj1@gmail.com पर प्रेषित करा दें ताकि इन MoU's के मूल्यांकन एवं अनुमति संबंधी प्रक्रिया आयुक्तालय स्तर से समय से निष्पादित करवाई जा सके।

अतः समस्त प्राचार्यो से इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि संस्था विकास, विद्यार्थी हित एवं शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन केन्द्रित उद्देश्यों के लिये अपने स्तर पर विशेष प्रयास कर राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण प्रयास को सफल बनाने में अपना अधिकतम सहयोग प्रदान करें।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक : CCE/ISDC/ Rising Rajasthan/ 2024-25/ 432 दिनांक : Oct. 2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
11002705

Signature valid
Digitally signed by Sunil Bhati
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.08 23:01:45 IST
Reason: Approved